बढ़े कदम चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम किया शुरू, आगामी कार्यक्रम भी हुए तय

आयोग ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार विधानसभा के लिए अगले वर्ष होने वाले चुनाव की तैयारियां चुनाव आयोग ने शुरू कर दी है। सोमवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सामान्य मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन कर दिया। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने, प्रविष्टियों में सुधार या एक ही विधानसभा में अपना मतदान केंद्र बदलने के लिए दावा-आपत्ति 15 जनवरी लिया जाएगा। आयोग इसके बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन सात फरवरी को करेगा। वर्तमान में प्रदेश के कुल मतदाताओं की संख्या 7.58 करोड़ हैं। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 3.73 करोड़ व महिला मतदाताओं की संख्या 3.32 करोड़ हैं। तीसरे लिंग के मतदाताओं की संख्या 2220 है।

यूं करें आवेदन

- फॉर्म 6- नाम जोड़ने के लिए
- फॉर्म 7- नाम हटाने करने के लिए
- फॉर्म 8- प्रविष्टियों में सुधार के लिए
- फॉर्म 8क- एक ही विधानसभा में बूथ बदलने के लिए
- फॉर्म 6क- एनआरआइ मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए

बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी मतदाता सत्यापन कार्यक्रम चलाया था जिसकी समाप्ति 30 नंवबर 2019 को हुई है। इस कार्यक्रम में अनुपस्थित, प्रवासी या मृत मतदाताओं को चिह्नित कर विलोपित किया गया हैं। अहम यह है कि संभावित योग्य मतदाताओं का नाम जोड़ा गया है। इसके साथ ही मतदाताओं की प्रविष्टियों में सुधार किया गया है। उक्त कार्यक्रम के समापन के बाद प्रारूप का प्रकाशन किया गया है। अब कोई भी आवेदक दावा-आपत्ति की निर्धारित अवधि में www.nvsp.in आवेदन कर सकता है। आयोग ने मतदाता के लिए सुविधा वोटर हेल्पलाइन एप्प के माध्यम से भी उपलब्ध है। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक अपने मतदान केंद्र के बीएलओं या निकट स्थित प्रखंड कार्यालय में जाकर आवेदन दे सकते हैं। आगामी साल में बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 को देखते हुए निर्वाचक सूची की तैयारी को लेकर बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एचआर श्रीनिवास ने आवश्यक निर्देश सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों दिए हैं।